कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–संरक्षण)

सतपुडा भवन म0प्र0 भोपाल

Tel. (Office)2674212,2551450(Fax) 2551450,Email:Apccfprot@mp.gov.in

कमांक / एफ–8 / 10–10 / 439 भोपाल, दिनांक 08 / 02 / 2011

पृ.क्रं.-	
पिछला	अगला

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक (क्षैत्रीय / वन्य प्राणी)
समस्त वन मण्डलाधिकारी क्षैत्रीय
मध्यप्रदेश

विषयः– वन अपराध प्रकरणों में हानि की गणना एवं बीट निरीक्षण के संबंध में ।

संदर्भ :– शासन के आदेश क / एफ–14 / 28 / 2002 / 10–2 दिनांक 11 / 2 / 2004 एवं अपर प्रधान मुख्य वन सरंक्षक (संरक्षण) के पत्र कमांक संरक्षण / 3 / 1274 दिनांक 7 / 6 / 2004 ।

———"———

उपरोक्त संदर्भित शासनादेश एवं संरक्षण कक्ष से बीट निरीक्षण एवं हानि की गणना हेतु विस्तृत निर्देश दिये गये है, लेकिन उपरोक्त निर्देशों का पालन एवं कियान्वयन सही सही नहीं किया जा रहा है। जिससे बीट निरीक्षण के समय वन हानि की गणना राही नहीं की जा रही है।

वनों में अवैध कटाई के संदर्भ में वर्तमान में हानि की गणना हेतु जो कार्यवाही की जा रही हैं उनमें से कई प्रकरणों में यह देखने में आया हैं कि हानि बहुत ही कम दर्शाई जाती है। या कई बार तो ऐसा प्रतीत होता है कि अवैध कटाई के उपरान्त विभाग को कुछ अतिरिक्त आय हुई है। इस संबंध में ऐसा लगता हैं कि हानि के विरूद्ध जिस लकड़ी की जप्ति होना दर्शाया जाता हैं वह हानि की गणना वाले क्षेत्र के अतिरिक्त दूसरे क्षेत्र की भी होती है । बीट निरीक्षण एवं हानि गणना के लिए उपरोक्त संदर्भित पत्रों से जारी निर्देशों के सही सही कियान्वयन हेतु वन मण्डल स्तर पर कार्यशालाा आयोजित कर अधिनस्थों को प्रशिक्षित किया जावे जिससे हानि प्रकरणों में सही सही कार्यवाही एवं गणना की जा सके । कृपया निम्न बिन्दुओं पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करें–

- **बीट निरीक्षण प्रतिवेदन**

  शासन द्वारा अधिकारियों हेतु आंशिक बीट निरीक्षण करने का भी प्रावधान रखा गया है, किन्तु यह देखा जा रहा है कि वन मण्डलाधिकारी / उपवनमण्डलाधिकारी / परिक्षेत्राधिकारी आंशिक बीट निरीक्षण में बीट के एक कक्ष के किसी एक भाग का निरीक्षण कर बीट निरीक्षण प्रतिवेदन देते हैं। जबकि आंशिक बीट निरीक्षण का अर्थ पूर्ण एक कक्ष से है। यह भी देखने में आया है कि अधिकारी स्वयं बीट निरीक्षण न कर अपने किसी अधिनस्थ से बीट निरीक्षण करवाकर खानापूर्ति कर देते हैं,जो सही नहीं है। इस परिपाटी को अविलंब समाप्त किया जावे। कुछ वन मण्डलों के बीट रोस्टर में एक ही माह में एक ही बीट में दो अधिकारियों का बीट रोस्टर निर्धारित हो जाता है, जो सही नहीं है।

- प्रत्येक बीट निरीक्षण के पश्चात निरीक्षणकर्ता अधिकारी एक निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार करेगा जिसमें बीट निरीक्षण में पाई गई वास्तविक स्थिति का लेख किया जावेगा। बीट निरीक्षण संबंधी सभी प्रतिवेदन वन मण्डल कार्यालय में संधारित किये जावेंगे। इस प्रतिवेदन के अभाव में बीट निरीक्षण मान्य नहीं किया जावेगा। यदि निरीक्षण में कोई हानि न पाई गई हो तो भी यह प्रतिवेदन तैयार कर अभिलेख में रखा जावेगा।
- परिक्षेत्र सहायक, परिक्षेत्र अधिकारी एवं उप वनमण्डलाधिकारी द्वारा बीट निरीक्षण करने के बाद बीट निरीक्षण प्रत्तिवेदन (प्रपत्र–1) वन मण्डलाधिकारी को निरीक्षण तिथि से एक सप्ताह के भीतर भेजा जाना

अनिवार्य होगा। परिक्षेत्र सहायक इस प्रतिवेदन की एक प्रति परिक्षेत्र अधिकारी को, परिक्षेत्र अधिकारी एक प्रति उप वन मण्डलाधिकारी को देगे।

- निरीक्षण टीप का परीक्षण बीट निरीक्षणकर्ता अधिकारी के एक स्तर के ऊपर के अधिकारी द्वारा किया जावेगा तथा 10 दिवस के अंदर वन मण्डल कार्यालय को टीप भेजी जावेगी। परीक्षण पश्चात् यह टीप वन मण्डलाधिकारी के कार्यालय में कम से कम 3 वर्ष के लिये सुरक्षित रखी जाये।
- बीट निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात यदि बीट निरीक्षण मे पाई गई नुकसानी रू. 10,000/– से ऊपर है तो परिक्षेत्राधिकारी अविलंब स्थल पर जाकर वस्तुस्थिति ज्ञात करेंगे। यदि नकसानी रू. 50,000/– है तो उप वन मण्डलाधिकारी तथा नुकसानी रू. 50,000/– से अधिक है तो वन मण्डलाधिकारी तत्काल स्थल पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

बीट निरीक्षण के दौरान अवैध कटाई के ठूँठ शुमारी के अतिरिक्त बीट के कक्षों मे अतिक्रमण अवैध उत्खनन एवं यदि ब्लाक लाईन से कक्ष लगा हो तो संबंधित कक्ष में ब्लाक लाईन के कच्चे पक्के मुनारों का भी निरीक्षण आवश्यक है।

बीट निरीक्षण के समय नुकसानी की गणना

- किसी भी बीट निरीक्षण के समय प्रपत्र –2 में विवरण अंकित किया जाकर हानि की गणना की जावे। इस प्रपत्र की पुस्तिकायें छपवाकर परिसर रक्षक को उपलब्ध करा दी जाये जिससे जब भी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है तो फार्म उपलब्ध रहे।
- बांस के ठूठों एवं जप्त किये गये बांस का विवरण एवं हानि का आकलन अलग से करके कुल हानि की गणना की जाये।
- मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) के पत्र क्रमांक/कक्ष–3/1669 दिनांक 07.07.93 के साथ सलग्न प्रपत्र 3 की पुस्तक भी प्रत्येक परिसर रक्षक को उपलब्ध करा दी जाये तथा प्रत्येक बीट निरीक्षण कर्ता उसमें प्राविष्टि आवश्यक रूप से करें।
- प्रत्येक कटे वृक्ष से प्राप्त हुई लकड़ी की हानि का मूल्यांकन पृथक–पृथक किया जाकर कुल हानि परिगणित की जाये। (शासन आदेश क्रमांक एफ–14/28/2002/10–2 दिनांक 13.02.2004 के अनुसार) बांस के ठूँठों एवं जप्त किये गये बांसो का विवरण अलग से डाला जावे। हानि की गणना प्रत्येक ठूँठवार होगी एवं ठूठों पर प्राप्त वनोपज के मूल्य का समायोजन अधिकतम ठूँठ के मूल्य के बराबर ही हो सकेगा। ठूँटों के अभिलेखन मे गंभीर त्रुटियां हो रहीं हैं। जॉच अधिकारी समस्त ठूँठों पर दर्ज विवरण एवं गोलाई का सत्यापन करेंगे।

  ठूठों के समतल सतह पर वर्ष की गणना का ठूँठ क्रमांक एवं यदि कोई लकड़ी मिली है एवं उसके टुकड़े बनाये गये है तो प्राप्त टुकड़ों की संख्या दर्शाई जाये अर्थात 205 नंबर के ठूँठ में यदि कोई लकड़ी नहीं मिलती या 4 टुकड़े मिलते है तो क्रमश: 202/0 अथवा205/4 अंकित किया जाये। ठूँठो पर अनुक्रमांक प्रत्येक केलेण्डर वर्ष के लिये लगातार रखे जाना है। ठूठों के बगल में जमीन सतह पर छाल छीलकर पीओआर क्रमांक अंकित किया जाए।
- ठूँठ शुमारी के समय ही हेमर निशान लगाया जावे। जहां बीट हेमर/व्यक्तिगत हमर उपलब्ध नहीं है वहां वन मण्डलाधिकारी तत्काल हैमर [illegible] कराने की व्यवस्था करें।
- हानि की गणना वन मण्डल के लिये निर्धारित फार्म फेक्टर एव साईट क्वालिटी के आधार पर तैयार किया जावे। हानि की गणना घनमीटर एवं राशि दोनों में की जावेगी। कम प्राप्त घनमीटर हानि के लिये भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना चाहिये।
- अवैध कटाई के पश्चात जप्त लकड़ी की गणना के संबंध में वे सभी पी0ओ0आर0 एवं कागजात हानि प्रकरण के साथ लगाये जाये जिनमे दर्शाई गई जप्त लकडी से आय की गणना की जा रही हैं इन पी0ओ0आर0 एवं अन्य कागजातों के संबंध में उपवनमण्डलाधिकारी द्वारा इस बात का परीक्षण किया

yogita

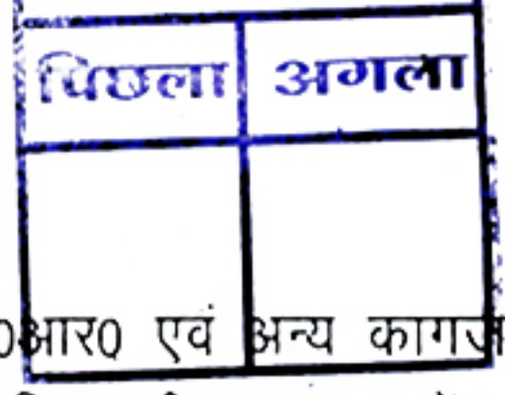

पिछला	अगला

175 174

जाए कि अवैध कटाई के क्षेत्र एवं समयावधि से इन पी0ओ0आर0 एवं अन्य कागजातों में दर्शाई जप्त लकड़ी का कोई संबंध है या नहीं परीक्षण उपरान्त वे हानि की गणना में यदि कोई संशोधन आवश्यक हो तो उसे करने के पश्चात अपनी टीप वनमण्डलाधिकारी को प्रस्तुत करें जिनके द्वारा इसमें अंतिम निर्णया लिया जावेगा।

- यदि अवैध कटाई के समय ठूँठ की ऊचाई भूमि सतह से 40 से.मी. से अधिक है तो ऐसी स्थिति में उनकी कटाई कर उपयोगी काष्ठ का विदोहन एवं ठूठ दुरूस्ती भी आवश्यक है। इसके लिये सूची बनाकर वन मण्डलाधिकारी के अनुमोदन के पश्चात ही ठूँठों की कटाई की जाये।
- ठूँठों पर पाई गई उपयोगी काष्ठ का विदोहनः– लगुण कार्य कर, अपराध संज्ञान होन पर एक सप्ताह के अंदर परिसर मुख्यालय या ट्रक के पहुच स्थल तक परिसर रक्षक द्वारा ढुलाई कराई जाये। काष्ठ परिवहन का कार्टिंग चालान नं. जॉच प्रतिवेदन में अंकित किया जाना आवश्यक है।
- बीट/कक्ष में जप्त काष्ठ का परिवहन कार्टिंग चालान के द्वारा ही बीट मुख्यालय अथवा चौकी तक किया जावे। बिना कार्टिंग चालान के काष्ठ परिवहन होने पर संबंधित के विरूद्ध कार्यवही की जावेगी।
- पीओआर की लकड़ी के परिवहन हेतु प्रत्येक वन रक्षक को एक कार्टिंग चालान बुक प्रदाय की जावे जिस पर ऊपर ही विशेष मोटे अक्षरों में अंकित किया जावे **"केवल जप्त वनोपज के परिवहन हेतु"**। बीट गार्ड/प.स./डिपो प्रभारी का स्थानांतरण होन पर कार्टिंग चालान बुक/संधारित पंजी के आधार पर मिलान एवं सत्यापन कर प्रभार लिया जावे। किसी भी कमी हेतु संबंधित कर्मचारी से तत्काल वसूली की कार्यवाही प्रारंभ की जावे।

मुख्य वन संरक्षक वृत्त स्तर पर अवैध रूप से काटे गये वृक्ष एवं जप्त वनोपज के संबंध में म.प्र. शासन वन विभाग के आदेश कमांक एफ–14/28/2002/10–2 दिनांक 11.02.2004 में दिये निर्देशानुसार वाणिज्यिक दरों का निर्धारण किया जावे। उपरोक्त निर्देशों के सही–सही कियान्वयन का उत्तरदायित्व संबंधित मुख्य वन संरक्षक एवं वन मण्डलाधिकारी का होगा।

Ash 8/2/11

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)

मध्यप्रदेश भोपाल

पृ.कमांक/एफ– / / 440

भोपाल, दिनांक 08/02/2011

प्रतिलिपि–

1. समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वृत्त प्रभारी) म.प्र.।
2. निज सचिव माननीय वन मंत्री जी म.प्र की ओर टीप कमांक 18 दिनांक 10.01.2011 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
3. निज सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

Ash 8/2/11

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)

मध्यप्रदेश भोपाल